उपस्कर विनिर्माताओं अल्प / मध्य कालिक रूपया ऋण

1. प्रयोजन :

इस योजना के अधीन भारत में विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सौंपी गई संविदाओं कार्य-निष्पादन के लिए उपस्कर विनिर्माताओं की अल्पकालिक / मध्यकालिक निधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए रुपया आवधिक ऋण के रूप में अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है। इस वित्तीय सहायता का उपयोग, संविदा के अंतर्गत आने वाले उपस्करों और अन्य व्यय की लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

2. पात्र यूटिलिटी :

उपस्करों / सामग्री के ऐसे विनिर्माता, जिन्हें विद्युत यूटिलिटियों द्वारा भारत में विद्युत परियोजनाओं की संविदाओं के कार्य-निष्पादन के लिए निश्चित आदेश दिए गए हों। ऐसे मामलों में प्राथमिकता दी जाएगी, जहां आपूर्तियों की अदायगी के लिए साख पत्र की प्रतिभूति दी गई हो। लेकिन राज्य क्षेत्र के ठेकेदारों के संबंध में, यदि अन्य वित्तीय संस्थाओं / बैंकों या पीएफसी के साथ वित्तपोषण के संबंध में करार किया गया हो तो साख पत्र पर बल दिया जाएगा। यदि क्रेता केंद्र सरकारी क्षेत्र उपक्रम हो, जिनमें अदायगी की शर्तें पीएफसी को स्वीकार्य होती हैं, तो साख पत्र अपेक्षित नहीं होता है।

3 . सहायता की सीमा :

राज्य / केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ता / एएए रेटेड एंटिटी-पात्र रकम का **70** प्रतिशत तक। अन्य-पात्र रकम का **50** प्रतिशत।

प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए पात्र रकम कुल संविदा मूल्य होगा, जिसमें से संविदा के अधीन उधारकर्ता द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त अदायगी को घटा दिया जाएगा, बशर्ते कि प्रत्येक मामले में अधिकतम रकम **100** करोड़ रुपए हो। राज्य / केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में सहायता की रकम अलग-अलग मामलों के आधार पर तय की जाएगी। सहायता की न्यूनतम रकम **1.00** करोड़ रुपए होगी।

4. ब्याज की दर और अन्य प्रभार :

- समय-समय पर लागू निगम द्वारा अधिसूचित ऐसी ब्याज की दर लगायी जाएगी, जो संवितरण के समय लागू हो।
- प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं द्वारा प्रक्रिया शुल्क अदा किया जाएगा।

5. वापसी की अवधि :

एक वर्ष तक के अल्पकालिक ऋण के लिए और **5** वर्ष तक के मध्यकालिक ऋण के लिए।

अदायगी की शर्तें संविदा की शर्तों के आधार पर तय की जाएगी और संविदा के अधीन की जाने वाली अदायगी पीएफसी द्वारा सीधे प्राप्त की जाएगी।

6. प्रतिभूति की आवश्यकता :

संविदा के समनुदेशन, साख पत्र का समनुदेश एवं बीमा, उधारकर्ता के राजस्व लेखे पर निलंब **(**एस्क्रो**)** उधारकर्ता की परिसंपत्तियों पर प्रभार के रूप में द्विपक्षीय प्रतिभूति **(**बंधक **/** आडमान**)** और **/** या प्राइवेट क्षेत्र के मामले में निदेशकों **/** गारंटीदाताओं की वैयक्तिक गारंटी का समुच्चय